19-04-2023

उत्तरमेरूर शिलालेख

समाचार पत्रों में क्यों?

तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरमेरुर शिलालेख का उल्लेख प्रधानमंत्री ने भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में बात करते हुए किया।

त्वरित मुद्दा?

- उत्तरमेकर पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उल्लिखित शिलालेख वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर पाया गया था। यह नौवीं शताब्दी ई.पू. की है और यह ग्राम सभा के कामकाज के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस युग की शासन संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की विशेषता थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- शिलालेख स्थानीय सभा, यानी ग्राम सभा के कामकाज का वर्णन करता है। इसमें सभा के प्रतिनिधि होने की योग्यता का उल्लेख है, जिसमें एक निश्चित भूमि का स्वामित्व, एक घर होना, 35 से 70 वर्ष की आयु के बीच होना, और मंत्र और ब्राह्मणों को जानना शामिल है। दूसरी ओर, कुछ कारक किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनने से अयोग्य ठहराते हैं, जैसे पूर्व समय में समिति में सेवा करते समय खाते सही से पूरे न करना, पाँच में से पहले चार में से कोई भी 'महान पाप' करना, बहिष्कृत समाज से संबंधित होना, और 'निषिद्ध' भोजन करना।

- ग्राम सभा के लिए प्रतिनिधि का चयन पुजारियों द्वारा कराये गये विस्तृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद, सदस्य सभा के भीतर महत्त्वपूर्ण समितियों में कार्य करता है, जैसे उद्यान समिति, टैंक समिति, वार्षिक समिति, न्याय की देखरेख के लिए समिति, स्वर्ण समिति और पाँच गुना समिति
- समिति के कार्य 360 दिनों तक चलते हैं, और किसी भी गलत काम में फंसे किसी भी समिति सदस्य को तुरंत हटा दिया जाता है।
- उत्तरामेरूर शिलालेख बारीकी से निरीक्षण करने पर स्थानीय स्वशासन का विवरण देता है। लेकिन यह वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुत दूर है।
- यह सभा की सदस्यता को न केवल भू-स्वामी ब्राह्मणों के एक छोटे उप-वर्ग तक सीमित करता है, बल्कि इसमें वास्तविक चुनाव भी नहीं होते हैं। इसके बजाय, यह बहुत से ड्रा के माध्यम से उम्मीदवारों के योग्य पूल से सदस्यों को चुनता है।

- हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस शिलालेख को लोकतांत्रिक कामकाज के लिए मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।
- शिलालेख राजा के प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली का विवरण देता है। शिलालेख एक संविधान की तरह है यह सभा के सदस्यों की दोनों जिम्मेदारियों के साथ-साथ इन सदस्यों के अधिकार की सीमाओं का वर्णन करता है।
- इसलिए, यदि कानून का शासन (व्यक्तिगत फरमान द्वारा शासन के बजाय) लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, तो उत्तरामेकर शिलालेख सरकार की एक प्रणाली का वर्णन करता है जो ठीक उसी का पालन करती है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में बदलाव

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर निधि प्रवाह नियम पुस्तिका को और भी कड़ा कर दिया है और पहली बार राज्यों द्वारा धान हस्तांतरण में देरी के लिए 'दंडात्मक ब्याज' खंड भी लाया है।

त्वरित मुद्दा?

- राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त करने के 40 दिनों के बजाय अब 30 दिनों के भीतर केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं योजना के लिए उनके हिस्से की धनराशि एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को हस्तांतरित कर दी जाए, जैसा कि पहले अनुमति दी गई थी। 30 दिनों से अधिक की देरी पर 7% प्रतिवर्ष का 'दंडात्मक व्याज' लगेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह 'बंडात्मक व्याज' एक राज्य द्वारा निर्धारित निधि प्रवाह में देरी करता है जो भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।
- ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
- यह एक ऐसा चैनल है जिसका उपयोग करके केंद्र सरकार राज्यों को अपनी योजनाओं को वित्तीय रूप से चलाने में मदद करने के लिए करती है।
- राज्य की भागीदारी की मात्र एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।उनका कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों पर निर्भर करता है।
- इन योजनाओं को आगे उनके फंडिंग पैटर्न के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कोर, कोर ऑफ कोर और वैकल्पिक योजनाएं।

- कोर ऑफ कोर स्कीम: केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को कोर ऑफ कोर स्कीम या अंब्रेला स्कीम कहा जाता है। उदाहरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि।
- कोर स्कीम्स: फडिंग पैटर्न आमतौर पर 60%40 है। केंद्र सरकार इन योजनाओं में अधिक हिस्सा लेती है और राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे शेष राशि में निवेश करेंगे। हालांकि, कई मामलों में जहां उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों और कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वहां आमतौर पर 90%10 के अनुपात में वित्त पोषण देखा जा सकता है। उदाहरण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) प्रधानमंत्री ए योजना (पीएमएवाई), एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम आदि।
- वैकल्पिक योजनाएं: आम तौर पर राज्य सरकारें योजनाओं की प्लानिंग बनाती हैं और कुल परिव्यय के कुछ हिस्से की निधि देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करती है। वैकल्पिक योजनाओं का सामान्य वित्त पोषण पैटर्न 50%50 (राज्य: केंद्र) है।
- हालाँकि, यदि योजना को पिछड़े क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में लागू किया जाना है तो केंद्र सरकार अधिक धन देने का कार्य कर सकती है। उदाहरण:सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आदि।

देश में एनकाउंटर के लिए क्या है कानून?

समाचार पत्रों में क्यों?

अतीक अहमद का मामला देशभर में सुर्खियों में है। अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका दायर करके मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। याचिका में साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अभी तक हुए सभी एनकाउंटरों की भी जांच का अनुरोध किया गया है। अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक गुर्गे गुलाम मोहम्मद को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था।

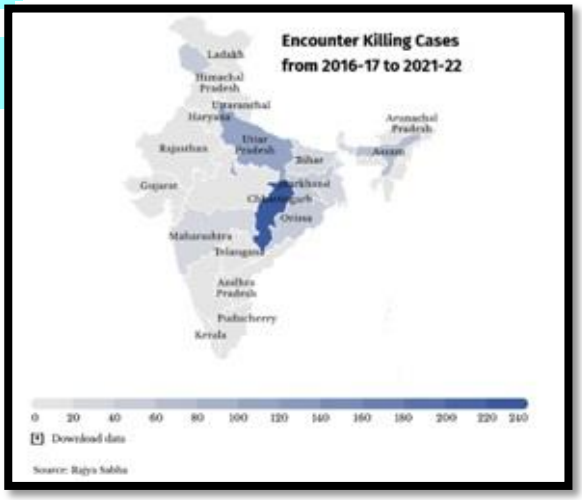

त्वरित मुद्दा?

- माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात साढ़े दस बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना को तीन हमलावरों ने अंजाम दिया। अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस काल्विन अस्पताल लाई थी। इसी दौरान हमलावरों ने मीडियाकर्मियों व पुलिस की मौजूदगी में दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- वर्ष 1999 में एक सामाजिक संस्था 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' (PUCL)' ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
- इस याचिका में वर्ष 1995 से 1997 के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे।

- फर्जी एनकाउंटर को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2014 में तत्कालीन CJI आरएम लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने 16 बिंदुओं का एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया।
- यदि किसी एनकाउंटर के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो उस घटना की प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और बिना किसी देरी के इसकी सूचना अदालत को भेज दी जानी चाहिए।सूचनाओं का लिखित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
- एनकाउंटर के बाद पूरी घटना की एक स्वतंत्र जांच CID से या दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवाना जरूरी है।
- इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी करवायी जानी चाहिए।
- घटना की सूचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) को बिना किसी देरी के दी जानी चाहिए।
- मौत की स्थिति में, कथित अपराधी/पीड़ित के परिजन को जितनी जल्दी हो सके, जानकारी दी जानी चाहिए।
- जांच में पुलिस की गलती पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए या जांच पूरी होने तक उसे निलंबित किया जाए।
- नोट- वर्ष 2011 में प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता मामले में कोर्ट ने कहा था कि "पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर और कुछ नहीं बल्कि निर्दयी हत्या है और जो इसे अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए"
- वर्ष 2016 से 2022 के मध्य हुए एनकाउंटर में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ तथा दूसरे पर उत्तर प्रदेश है।
- वर्ष 2021-2022 के मध्य हुए एनकाउंटर में पहले नंबर पर जम्मू एवं कश्मीर तथा दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है।
- **भारतीय संविधान**
  - भारतीय संविधान में कहीं भी एनकाउंटर शब्द का जिक्र नहीं है।
  - पुलिस के पास किसी नागरिक का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC)

- देश में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार गठित होने के कारण यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

- हाल में किये गए संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होगी।
- मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बंधी मुख्य आयुक्त को भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकेगा।
- संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यावधि को 5 वर्ष से 3 वर्ष किया जाएगा और वे पद पर पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।

- भारतीय संविधान में कानून द्वारा किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) को छीना जा सकता है।

- **NHRC की क्या गाइडलाइंस है?**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर पुलिस एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी की जाती रही है।
  - मार्च 1997 में NHRC के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस एमएन वेंकटचलैया ने एक पत्र के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि यदि पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया जाता है तो इसे गैरइरादतन हत्या माना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है।

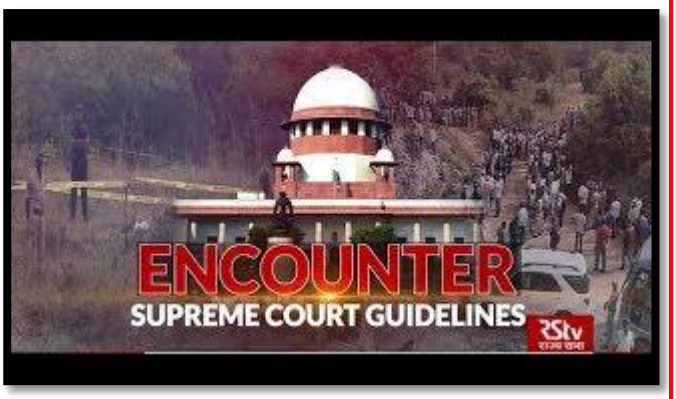

- **NHRC ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं।**
  - एनकाउंटर में मौत की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को तुरंत जानकारी दर्ज करनी चाहिए।
  - आरोपी की मौत के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।
  - चूंकि एनकाउंटर में पुलिस खुद शामिल होती है, इसलिए ऐसे मामलों की जांच CID से कराई जानी चाहिए।
  - इन मामलों की जांच चार महीनों में पूरी होनी चाहिए।
  - यदि जांच में किसी के खिलाफ केस बनता है तो उसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए।
  - यदि कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी की गोली से मारा जाता है, तो संबंधित पुलिसकर्मी पर IPC की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए।
  - पुलिस कार्रवाई में हुई सभी मौतों की जानकारी NHRC को देनी चाहिए और SP या SSP स्तर के अधिकारी घटना के 48 घंटों के भीतर आयोग को सूचित करें।
  - घटना की जानकारी देने के तीन महीने के भीतर दूसरी रिपोर्ट जमा करनी होगी और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच और पुलिस अधिकारियों की जांच रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।

सूडान में संघर्ष

समाचार पत्रों में क्यों?

देश की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण लड़ाई के बाद से सूडान की राजधानी खार्तुम में कम से कम 56 नागरिक मारे गए हैं और लड़ाकों सहित 595 लोग घायल हुए हैं।

त्वरित मुद्दा?

- सूडान में चल रहे संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 तक जाती हैं, जब सूडान के लंबे समय तक रहे तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल-बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। उनके खिलाफ देशव्यापी विद्रोह के बाद सैन्य जनरलों द्वारा उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- बशीर के निष्कासन के बावजूद, नागरिकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा, लोकतांत्रिक चुनाव और एक नागरिक सरकार की स्थापना की अपनी मांग जारी रखी।
- विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक संप्रभुता परिषद का गठन किया गया। यह परिषद सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज का एक शक्ति-साझाकरण निकाय था। यह भी सुनिश्चित किया गया कि यही परिषद 2023 के अंत में सूडान में चुनावों को आयोजित करेगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला हमदोक को संक्रमणकालीन अवधि के लिए प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था।

- हालांकि, सेना ने अक्टूबर 2021 में परिषद द्वारा निर्मित हमदोक की सरकार को भी उखाड़ फेंका। सेना ने घोषणा की कि वह जुलाई 2023 में चुनाव होने तक सत्ता पर काबिज रहेगी।
- इस तख्तापलट के तुरंत बाद सेना और आरएसएफ के बीच संबंध बिगड़ गए। (आरएसएफ की स्थापना बशीर ने दारफुर में एक विद्रोह को कुचलने के लिए की थी जो 20 साल पहले सूडान की केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर जाने के कारण शुरू हुआ था। आरएसएफ पर व्यापक अत्याचार का आरोप लगाया गया है)।
- सेना और आरएसएफ के बीच मुख्य मुद्दों में से एक सेना में 100,000 आरएसएफ को शामिल करने की योजना है और इसमें निहित एक और मुद्दा इस नई सेना के नेतृत्व को लेकर भी था।
- जब आरएसएफ के सदस्यों को देश भर में एक ऐसे कदम के रूप में फिर से तैनात किया गया जिसे सेना ने एक खतरे के रूप में देखा तो हिंसा भड़क उठी।
- सूडान लाल सागर, साहेल क्षेत्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सीमा से लगे एक अस्थिर क्षेत्र में आता है।
- इसके रणनीतिक अवस्थिति और कृषि संपदा ने क्षेत्रीय शक्तियों को भी आकर्षित किया है, जिससे नागरिक नेतृत्व वाली सरकार के सफल संक्रमण की संभावना जटिल हो गई है।
- पश्चिमी शक्तियों को लाल सागर पर रूसी प्रभुत्व का डर है, जिसके लिए सूडानी सैन्य नेताओं ने रूस को लेकर दोस्ताना रुख व्यक्त किया है।